

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी  
न्याय आपके द्वार अभियान वर्ष 2016  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी

उनवान

कालूराम पुत्र हटाराम कौम राईका

बनाम

राणराम पुत्र हटाराम कौम राईका

दावा बाबत - बंटवारा राज0काश्त0 अधि0 1955 धारा 53

मुकदमा नम्बर :-76/16

निर्णय

दिनांक :-10/06/2016

वादी कालूराम पुत्र हटाराम कौम राईका व प्रतिवादी राणराम पुत्र हटाराम कौम राईका की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10/06/16 को पर्वत सिंह चूण्डावत (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि

कालूराम पुत्र हटाराम कौम राईका सा.देह खातेदार के नाम ग्राम नारलाई पटवार वृत नारलाई तहसील देसूरी के ख.न 944 रकबा 1.18 है. किस्म बा.दो. लगान 5.90 एवं राणराम पुत्र हटाराम कौम राईका सा.देह खातेदार के नाम ग्राम नारलाई पटवार वृत नारलाई तहसील देसूरी के ख.न 944/1 रकबा 1.18 है. किस्म बा.दो. लगान 5.90 एवं कालूराम,राणराम पि. हटाराम कौम राईका सा.देह खातेदार के नाम ग्राम नारलाई पटवार वृत नारलाई तहसील देसूरी के ख.न 944/2 रकबा 0.08 है. किस्म बा.दो. लगान 0.40 व ख.न 944/3 रकबा 0.04 है. किस्म बा.दो. लगान 0.20 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.12 कुल किस्म बा.दो. कुल लगान 0.60 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे में तरमीम हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 10/06/2016 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की जाती है।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर देसूरी  
कम्प .....

दिनांक-10/06/2016

क्रमांक/शिविर/2016/  
प्रतिलिपि :-

1.तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि माफिक डिक्री एवं नक्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।



(पर्वत सिंह चूण्डावत)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर देसूरी  
कम्प .....

# न्याय आपके द्वार अभियान वर्ष 2013

डिक्री व मुकदमे ईबादाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- देसूरी  
इजलास :- श्री पर्वतसिंह चुण्डावत, आर0ए0एस0

उनवान

कालूराम पुत्र हटाराम कौम राईका

बनाम

राणराम पुत्र हटाराम कौम राईका

राजस्व वाद बाबत घोषणा, मु0न0 :रा0वा0 स0: 76 / 16

दावा बाबत -बंटवारा राज0काश्त0 अधि0 1955 धारा 53

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी ..... वादीगण मिनजानिव मुद्धई व ..... प्रतिवादीगण मिनजानिव मुद्दायलाह पेप होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि कालूराम पुत्र हटाराम कौम राईका सा.देह खातेदार के नाम ग्राम नारलाई पटवार वृत्त नारलाई तहसील देसूरी के ख.न 944 रकबा 1.18 है. किस्म बा.दो. लगान 5.90 एवं राणाराम पुत्र हटाराम कौम राईका सा.देह खातेदार के नाम ग्राम नारलाई पटवार वृत्त नारलाई तहसील देसूरी के ख.न 944/1 रकबा 1.18 है. किस्म बा.दो. लगान 5.90 एवं कालूराम,राणराम पि. हटाराम कौम राईका सा.देह खातेदार के नाम ग्राम नारलाई पटवार वृत्त नारलाई तहसील देसूरी के ख.न 944/2 रकबा 0.08 है. किस्म बा.दो. लगान 0.40 व ख.न 944/3 रकबा 0.04 है. किस्म बा.दो. लगान 0.20 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.12 कुल किस्म बा.दो. कुल लगान 0.60 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे में तरमीम हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, देसूरी को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुयलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व षहर .....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर नारलाई के आज तारीख 10/06/2016 को जारी किया गया।

मोहर

(पर्वतसिंह चुण्डावत)  
उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा अभियान 2016  
प्रभारी अधिकारी देसूरी  
उपखण्ड अधिकारी देसूरी  
केम्प .....रूपये...पैसे

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह
स्टाम्प अर्जी दावा	.....	.....	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	.....	.....	स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प वजह सबूत	.....	.....	महनताना वकील
महनताना वकील	.....	.....	खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान	.....	.....	फीस कमीष्नर
फीस कमीष्नर	.....	.....	बाबत ईजराय हुक्मनामा
बाबत ईजराय हुक्मनामा	.....	.....	मुत्फरिक

मिजान:-

मिजान:-

- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे। नोट:



(पर्वतसिंह चुण्डावत)  
उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा अभियान 2016  
प्रभारी अधिकारी देसूरी  
उपखण्ड अधिकारी देसूरी  
केम्प .....रूपये...पैसे